>

Title: Need to ban the speeches having objectionable words and against national interests.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में व्यक्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इनमें से अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह सत्य है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक न सिर्फ अपने विचारों का प्रचार-प्रसार कर सकता है, बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान-प्रदान करने का अधिकार रखता है।

लेकिन, आज इस अधिकार का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है। यह देखने में आया है कि संविधान में प्रदत्त इस अधिकार के तहत बहुत से लोग अपने भाषणों में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हें, जो देश के लिए हितकर नहीं है। देश हित में यह अति आवश्यक है कि ऐसे आपत्तिजनक भाषणों पर कड़ी पाबंदी लगायी जानी चाहिए, जिनमें देश के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश हित में भाषणों एवं अभिव्यक्ति में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अविलंब प्रावधान करें, जिनसे देश को क्षति पहुंचती हो।